भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.442

दिनांक 27.11.2024 को उत्तर देने के लिए

महत्वपूर्ण खनिज मिशन

†442. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री कृपानाथ मल्लाह:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री परषोत्तमभाई रुपाला:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री बलभद्र माझी:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज मिशन आरंभ किया है और यदि हां, तो महत्वपूर्ण के रूप में चिह्नित किए गए खनिजों की सूची सहित तत्संबंधी विस्तृत रूपरेखा और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) निधियों के आबंटन और संभावित खनन स्थलों की पहचान, यदि कोई हो, सहित महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य-वार क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण और शहरी खनन के लिए कोई नीतिगत रूपरेखा विकसित की गई है और यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) महत्वपूर्ण खनिज परिसम्पत्तियों के विदेशों में अधिग्रहण के लिए उठाए गए कदमों और चिह्नित किए गए देशों तथा हस्ताक्षरित समझौतों, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या घरेलू उत्पादन, पुनर्चक्रण और विदेशों में अधिग्रहण के संबंध में इस मिशन के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 में 23 जुलाई, 2024 को घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण और महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन के गठन की घोषणा की है। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची के भाग-घ में 24 खनिजों को महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ख) घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को वर्ष 2023 में संशोधित किया गया है ताकि केंद्र सरकार को 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के ब्लॉकों की नीलामी करने हेतु अधिकृत किया जा सके। अब तक 22 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की सातवीं अनुसूची में शामिल 29 खनिजों के लिए गवेषण अनुज्ञप्ति नामक नई खनिज रियायत शुरू की गई है जिसमें 22 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज शामिल हैं। इससे अनुज्ञप्तिधारक को इन खनिजों के लिए सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण प्रचालनों को करने की अनुमति मिल जाती है।

महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु संभावित खनन स्थलों की पहचान करने के लिए गवेषण कार्यक्रम में वृद्धि करने हेतु भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने पिछले तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों पर 368 खनिज गवेषण परियोजनाएं शुरू की थीं। चालू वर्ष 2024-25 में, जीएसआई ने देश भर में महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की 195 खनिज गवेषण परियोजनाएं शुरू की हैं।

मंत्रालय ने राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) के माध्यम से खनन गवेषण की विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण पर भी ध्यान केंद्रित किया है। अब तक, एनएमईटी ने कुल 443 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है, जिनमें से विभिन्न गवेषण एजेंसियों के माध्यम से की जा रहीं 139 परियोजनाएं महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित हैं। इसके अलावा, गवेषण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, खान मंत्रालय ने 25 निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) को अधिसूचित किया है। ये एजेंसियां एनएमईटी के माध्यम से गवेषण परियोजनाएं शुरू कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने विभिन्न एजेंसियों को खनन गवेषण के क्षेत्र में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त अनुज्ञप्ति और गवेषण अनुज्ञप्ति धारकों के लिए गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु योजना आरंभ की है। विभिन्न चरणों में, महत्वपूर्ण और

सामरिक खनिजों के सफलतापूर्वक नीलाम किए गए ब्लॉकों का राज्य-वार सारांश **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग) देश में पुनर्चक्रण के माध्यम से द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों को अलग करने और इनके उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता को विकसित करने हेतु भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए हितधारकों से परामर्श हेतु मसौदे की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस रूपरेखा के तहत, समाप्त हो चुकी लिथियम आयन बैटरी की पुनर्चक्रण क्षमता महत्वपूर्ण खनिज मिशन की अवधि के दौरान वर्तमान वार्षिक क्षमता से चार गुना बढ़ने की उम्मीद है, जो उद्योग स्रोत के अनुसार लगभग 75,000 टन है। इसके अलावा, सरकार ने छह महत्वपूर्ण खनिजों के अपशिष्ट और स्क्रैप पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया है, जिससे इन खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिलेगा।

(घ) विदेश में महत्वपूर्ण खनिजों के अधिग्रहण के लिए, मंत्रालय ने संसाधन संपन्न देशों, जो महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों से समृद्ध हैं, के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अलावा, खान मंत्रालय ने विदेशी खनिज परिसंपत्तियों की पहचान करने और उनके अधिग्रहण के लिए एक संयुक्त उद्यम खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) की स्थापना की है।

काबिल ने अर्जेंटीना में पांच सटे हुए लिथियम ब्लॉक की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम कैमयेन के साथ गवेषण और विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ङ) खान मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन, पुनर्चक्रण और विदेशी अधिग्रहण की बारीकी से निगरानी कर रहा है।

*****

<u>अनुलग्नक-I</u>

एमएमडीआर अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की सूची [24 खनिज]

1. बेरिल और अन्य बेरिलियम युक्त खनिज
2. कैडमियम युक्त खनिज
3. कोबाल्ट युक्त खनिज
4. गैलियम युक्त खनिज
5. ग्लौकोनाइट
6. ग्रेफाइट
7. इंडियम युक्त खनिज
8. लिथियम युक्त खनिज
9. मोलिब्डेनम युक्त खनिज
10. निकल युक्त खनिज
11. नियोबियम युक्त खनिज
12. फॉस्फेट (यूरेनियम रहित)
13. प्लैटिनम समूह के खनिज युक्त तत्व
14. पोटाश।
15. "दुर्लभ पृथ्वी" समूह के खनिज जिनमें यूरेनियम और थोरियम शामिल नहीं हैं।
16. रेनियम युक्त खनिज

17. सेलेनियम युक्त खनिज
18. टैंटालम युक्त खनिज
19. टेल्यूरियम युक्त खनिज
20. टिन युक्त खनिज
21. टाइटेनियम युक्त खनिज और अयस्क (इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन)
22. टंगस्टन युक्त खनिज
23. वैनेडियम युक्त खनिज
24. जिरकोनियम युक्त खनिज और अयस्क जिसमें जिरकोन शामिल है।

अनुलग्नक-II

विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिजों की नीलामी के लिए सफलतापूर्वक नीलाम किए गए ब्लॉकों का राज्य-वार सारांश

क्र. सं.	**राज्य**	**सफलतापूर्वक नीलाम किए गए कुल ब्लॉक**
1	आंध्र प्रदेश	1
2	अरुणाचल प्रदेश	4
3	बिहार	3
4	छत्तीसगढ़	1
5	कर्नाटक	2
6	मध्य प्रदेश	3
7	ओडिशा	3
8	तमिलनाडु	2
9	उत्तर प्रदेश	3
	कुल	**22**

*****